

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 85

राजस्व विभाग

दिनांक 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक सुश्री भावना गौड़ जी

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या ये सत्य है कि पालम विधान सभा के साथ नगर क्षेत्र में जेबीएम स्कूल के सामने कुछ जमीन खाली पड़ी है;	यह क्षेत्र Section 22(1), Delhi Development Act, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 19/08/2002 के नोटिफिकेशन के द्वारा शहरीकृत कर दिया गया है अतः यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण विभाग के अधीन आता है।
ख)	यह जमीन पैमाइश के हिसाब से कितनी है;	दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस संबंध में सूचना मांगी गई है।
ग)	यदि हाँ, तो इस जमीन की देखभाल कौन-सा विभाग कर रहा है;	
घ)	क्या यह सत्य है इस खाली पड़ी जमीन पर कुछ भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है; और	
ङ)	यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(अजय अरोड़ा)
 एसडीएम-6 (मुख्यालय)

AJAY ARORA
 SDM-VI (HQ)
 Revenue Department
 Govt. of NCT of Delhi
 5, Sham Nath Marg, Delhi-54